[illegible] 4/6/24 को पेश हो।

4/6/24

[illegible] पुनाराम [illegible]

6/6/24 को पेश हो।

6/6/24 वकील वादी उपस्थित। वकील वादी ने एकपक्षीय [illegible] गई। अतः दावा वादी साबित होने [illegible] पाया जाता है। अतः दावा वादीगण साबित होने से डिक्री किया जाता है। तदनुसार पर्चा

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2024.07.24 16:45:12 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	डिक्री जारी हो। पत्रावली पर निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल किया गया पत्रावली फैसल शुदा होकर दर्ज रजिस्टर के बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो हुक्म 06.6.24	

Signature Not Verified

Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2024.07.24 15:45:12 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

पीठासीन अधिकारीः– श्री सुखाराम पिण्डेल (आर ए एस)

राजस्व वाद संख्याः– 1 / 154 / 2021 दायर दिनांकः– 22 / 07 / 2021

जीसीएमएस नं0ः–2021 / 297 निर्णय दिनांकः– 06 / 06 / 2024

वउनवान

1. अमरसिंह पुत्र गोपालसिंह जाति जाट निवासी बिरहरू भरतपुर
2. महाराजसिंह पुत्र चरणसिंह जाति जाट निवासी बहरामदा भरतपुर

....वादीगण

बनाम

1. गिर्राज पुत्र गुटटी जाति मीणा निवासी घीवडी तहसील कठूमर
2. फूलसिंह पुत्र गुटटी जाति मीणा निवासी घीवडी तहसील कठूमर
3. मुरारी पुत्र गुटटी जाति मीणा निवासी घीवडी तहसील कठूमर
4. मोतीसिंह पुत्र गुटटी जाति मीणा निवासी घीवडी तहसील कठूमर
5. तहसीलदार कठूमर।

.... प्रतिवादीगण

6. उदयसिंह पुत्र गोविन्दसिंह जाति राजपुत निवासी घीवडी तहसील कठूमर
7. चन्द्रवती पुत्री नानगा जाति जाट निवासी बहरामदा तहसील नदबई
8. दयावती पुत्री रतनलाल जाट निवासी बहरामदा तहसील नदबई
9. धर्मसिंह पुत्र हिल्ली जाति जाट निवासी खंगरी तहसील नदबई
10. नीरज पुत्री रामदयाल जाति जाट निवासी नाबालिग
11. नीलम पुत्री रामदयाल जाति जाट निवासी नाबालिग
12. राजेश पुत्री रामदयाल जाति जाट निवासी नाबालिग
13. पूनम पुत्री रामदयाल जाति जाट निवासी नाबालिग
14. प्रियंका पुत्री रामदयाल जाति जाट निवासी नाबालिगान जरिये बली सरपरस्त माता खुद हरवीरी वेवा रामदयाल जाति जाट निवासी बिरहरू तहसील नदबई भरतपुर।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2024.07.24 16:45:12 IST
Reason: SelfAttested

A 06.6.24

15. हरवीरी वेवा रामदयाल जाति जाट निवासी बिरहरू तहसील नदबई भरतपुर।

16. प्रेम पुत्री हिल्ली जाति जाट निवासी खंगरी तहसील नदबई भरतपुर।

17. भगवानसिंह पुत्र गोपालसिंह जाति जाट निवासी बिरहरू तहसील नदबई भरतपुर।

18. मिथलेश पत्नी समयसिंह जाति जाट निवासी बहरामदा तहसील नदबई भरतपुर

19. विमलेश पत्नी रामगजेन्द्र जाति जाट निवासी बहरामदा तहसील नदबई भरतपुर

20. शारदा पत्नी इन्दरसिंह जाति जाट निवासी बिरहरू तहसील नदबई भरतपुर

21. सन्ता पुत्री रतनलाल जाति जाट निवासी बहरामदा तहसील नदबई भतपुर।

22. हरप्यारी पत्नी रतनलाल जाति जाट निवासी बहरामदा तहसील नदबई भतपुर।

––– तरतीवी प्रतिवादीगण

<u>दावा घोषणात्मक व हूक्मइन्तनाई दवामी अन्तर्गत धारा–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955–</u>

<u>उपस्थितिः</u>–श्री रामजीलाल शर्मा – अधिवक्ता वादी

–:निर्णयः–

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2024.07.24 16:45:12 IST
Reason: SelfAttested

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद प[illegible]न्तनाई दवामी के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि आराजी खसरा नम्बर [illegible] रकबा 4.71 हैक्ट0 ग्राम घीवडी तहसील कठूमर में स्थित है। यह है कि उक्त विवादित आराजी वादीगण एवं तरतीवी प्रतिवादीगण की शामलात कब्जे काश्त की खातेदारी की आराजी है। जिस पर वादीगण एवं तरतीवी प्रतिवादीगण अपने अपने हिस्से पर काश्त करते

06.6.24

चले आ रहे है। उक्त आराजी से असल प्रतिवादीगण का कोई संबंध व सरोकार नही है। असल प्रतिवादीगण सरजोर, बानेबन्द व मुठर्मद किस्म के व्यक्ति है, जो वादीगण व तरतीवी प्रतिवादीगण की आराजी में मदाखलन मजाहमत पैदा करते रहते है। आराजी की डौल को जोत कर बेदखल करने पर व कब्जा करने पर आमादा है जोतने बोने व काटने समेटने मे बाधा उत्पन्न करते है। यदि प्रतिवादीगण अपने नापाक ईरादों में कामयाब हो गये तो वादीगण तबाह एंव बर्बाद हो जावेगा। इस वजह से प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना जरूरी है। अतः वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किये जाने का निवेदन किया है।

दावा वादी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन रजिस्टर्ड डाक भिजवाये गये। प्रतिवादीगण संख्या 1 से 5 बावजूद रजिस्टर्ड सूचना के उपस्थित नहीं आये। इनके विरूद्व दिनांक 15.12.2023 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी एवं वादीगण अधिवक्ता तरतीवी प्रतिवादीगण से कोई अनुतोष नही चाहा जिसके कारण उनको दावा तर्क किया गया। वादीगण ने अपने दावा के समर्थन में जमाबन्दी संवत् 2075 से 2078 प्रदर्श–1 नक्शा ट्रैस प्रदर्श–2 की छाया प्रति पेश की है। जो शामिल पत्रावली है।

वादीगण ने अपने दावा के समर्थन में गवाह वादी महाराजसिंह पी डब्ल्यू 1 एवं पी डबलू 2 बलराम पी डबलू 3 दीपक के शपथ पत्र बतौर गवाह पेश किया है। जो शामिल पत्रावली है।

विद्वान अधिवक्ता वादीगण की एकपक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता वादीगण ने अपनी बहस में मुख्य रूप से अपने दावा में वर्णित तथ्यों को दोहराया व दावा को डिक्री कर प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने का निवेदन किया। प्रदर्श–1 जमाबन्दी [illegible] के अवलोकन से यह साबित है कि आराजी खसरा नम्बर 28 रकबा 4.7[illegible] हैक्ट0 वाके ग्राम घीवडी तहसील कठूमर में जो आराजी वादीगण एवं तरतीवी प्रतिवादीगण की खातेदारी में दर्ज

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2024.07.24 16:45:12 IST
Reason: SelfAttested

रेकार्ड आराजी है। पत्रावली के तथ्यों, प्रस्तुत दस्तावेज, राजस्व रेकार्ड एवं वादी के शपथ पत्र के अवलोकन व विद्वान अधिवक्ता वादी की एकपक्षीय बहस पर मनन करने पर यह पाया गया है, कि प्रतिवादीगण द्वारा विवादित आराजी से किसी प्रकार का सरोकार व संबंध नही है ना ही प्रतिवादीगण सहखातेदार है। जिससे वादीगण प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराये जाने का अधिकारी पाये जाते है। विवादित आराजी वादीगण की खातेदारी की आराजी है। प्रतिवादीगण का उक्त भूमि में बाधा पैदा करने का अधिकार नहीं है। अतः वाद वादी साबित होने से डिकी योग्य पाया जाता हे।

—:आदेश:—

अतः दावा वादीगण हुक्मइन्तनाई दवामी साबित होने से डिकी किया जाकर असल प्रतिवादीगण को विवादीत आराजी खसरा नम्बर 28 रकबा 4.71 हैक्ट0 वाके ग्राम घीवडी तह0 कठूमर में वादीगण को किसी प्रकार की काश्त संबंधी कार्य करने में बाधा उत्पन्न ना करें व रूकाबट व मजाहमत पैदा ना करे जबरन वादीगण की डौल को तोडकर बेदखल ना करें। कोई कच्चा पक्का निर्माण कार्य ना करें। तदनुसार पर्चा डिकी जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 06.06.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुंनाया गया।

06.6.24

सुखाराम पिण्डेल(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2024.07.24 15:45:12 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिकी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

पीठासीन अधिकारी:– श्री सुखाराम पिण्डेल (आर ए एस)

राजस्व वाद संख्या:– 1 / 154 / 2021 दायर दिनांक:– 22 / 07 / 2021

जीसीएमएस नं0:–2021 / 297 निर्णय दिनांक:– 06 / 06 / 2024

वउनवान

1. अमरसिंह पुत्र गोपालसिंह जाति जाट निवासी बिरहरू भरतपुर
2. महाराजसिंह पुत्र चरणसिंह जाति जाट निवासी बहरामदा भरतपुर

....वादीगण

बनाम

1. गिर्राज पुत्र गुटटी जाति मीणा निवासी घीवडी तहसील कठूमर
2. फूलसिंह पुत्र गुटटी जाति मीणा निवासी घीवडी तहसील कठूमर
3. मुरारी पुत्र गुटटी जाति मीणा निवासी घीवडी तहसील कठूमर
4. मोतीसिंह पुत्र गुटटी जाति मीणा निवासी घीवडी तहसील कठूमर
5. तहसीलदार कठूमर।

.... प्रतिवादीगण

6. उदयसिंह पुत्र गोविन्दसिंह जाति राजपुत निवासी घीवडी तहसील कठूमर
7. चन्द्रवती पुत्री नानगा जाति जाट निवासी बहरामदा तहसील नदबई
8. दयावती पुत्री रतनलाल जाट निवासी बहरामदा तहसील नदबई
9. धर्मसिंह पुत्र हिल्ली जाति जाट निवासी खंगरी तहसील नदबई
10. नीरज पुत्री रामदयाल जाति जाट निवासी नाबालिग
11. नीलम पुत्री रामदयाल जाति जाट निवासी नाबालिग
12. राजेश पुत्री रामदयाल जाति जाट निवासी नाबालिग
13. पूनम पुत्री रामदयाल जाति जाट निवासी नाबालिग

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2024.07.24 15:45:12 IST
Reason: SelfAttested

14. प्रियंका पुत्री रामदयाल जाति जाट नि[illegible]लिगान जरिये बली सरपरस्त माता खुद हरवीरी वेवा रामदयाल [illegible] जाट निवासी [illegible]रू तहसील नदबई भरतपुर।
15. हरवीरी वेवा रामदयाल [illegible]रू तहसील नदबई भरतपुर।
16. प्रेम पुत्री हिल्ली जाति जाट निवासी खंगरी तहसील नदबई भरतपुर।

06.6.24

17. भगवानसिंह पुत्र गोपालसिंह जाति जाट निवासी बिरहरू तहसील नदबई भरतपुर।
18. मिथलेश पत्नी समयसिंह जाति जाट निवासी बहरामदा तहसील नदबई भरतपुर
19. विमलेश पत्नी रामगजेन्द्र जाति जाट निवासी बहरामदा तहसील नदबई भरतपुर
20. शारदा पत्नी इन्दरसिंह जाति जाट निवासी बिरहरू तहसील नदबई भरतपुर
21. सन्ता पुत्री रतनलाल जाति जाट निवासी बहरामदा तहसील नदबई भतपुर।
22. हरप्यारी पत्नी रतनलाल जाति जाट निवासी बहरामदा तहसील नदबई भतपुर।

——— तरतीवी प्रतिवादीगण

दावा घोषणात्मक व हूक्मइन्तनाई दवामी अन्तर्गत धारा—188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955—

अतः दावा वादीगण हुक्मइन्तनाई दवामी साबित होने से डिक्री किया जाकर असल प्रतिवादीगण को विवादीत आराजी खसरा नम्बर 28 रकबा 4.71 हैक्ट0 वाके ग्राम घीवडी तह0 कठूमर में वादीगण को किसी प्रकार की काश्त संबधी कार्य करने में बाधा उत्पन्न ना करें व रूकाबट व मजाहमत पैदा ना करे जबरन वादीगण की डौल को तोडकर बेदखल ना करें। कोई कच्चा पक्का निर्माण कार्य ना करें।

निर्णय दिनांक 06.06.2024 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से जारी की गई।

06.6.24

सुखाराम पिण्डेल(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2024.07.24 15:45:12 IST
Reason: SelfAttested